

## कृषि यंत्रीकरण ऋण योजना

- **उद्देश्य :**  
कृषको की कृषि आय में वृद्धि करने तथा समय से सुगमतापूर्वक कृषि कार्य सम्पन्न करने, मानव श्रम समस्या से निपटने, फसल कृषि आगतों एवं उत्पाद विपणन की त्वरित व्यवस्था हेतु ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर चलित उपकरण, ट्राली आदि क्रय करने हेतु मियादी ऋण सहायता उपलब्ध कराना।
- **पात्रता :**  
व्यक्तिगत कृषक या कृषको का समूह जिनके पास न्यूनतम 08 एकड (3.24 हेक्टर) निरंतर सिंचित कृषि भूमि हों।
- **प्रयोजन :**  
ट्रेक्टर, ट्राली, सहायक उपकरण, श्रेशर आदि
- **अंशदान :**  
योजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत।
- **ब्याजदर :**  
रु.10.00 लाख तक 11.50% वार्षिक। 10 लाख अधिक पर 12.50% वार्षिक।
- **प्रभार :**  
प्रक्रिया शुल्क, दस्तावेज शुल्क एवं निरीक्षण प्रभार बैंक नियमानुसार देय होंगे।
- **पुनर्भुगतान :**  
छः माही अर्धवार्षिक किश्तों में अधिकतम 09 वर्ष
- **आवश्यक दस्तावेज :**
  - पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड/वोटर आयडी कार्ड/झायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/नरेगा जॉब कार्ड/अन्य दस्तावेज
  - पते का दस्तावेज
  - नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो
  - कृषि भूमि का रेकार्ड (खसरा खतौनी (BI & PII) की नकल)
  - क्रय किये जाने वाली वस्तुओं यथा ट्रेक्टर, ट्राली, उपकरण आदि के कोटेशन

.....